संख्या 5/7—77 (3)–कार्मिक–1

प्रेषक,

श्री एम० वाधवानी,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शासन के समस्त सचिव तथा विशेष सचिव।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 24 अगस्त, 1977

विषय :—स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन आदि में अतिरिक्त सेवा के लाभ का दिया जाना।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–1

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1976) द्वारा संशोधित मूल नियम 56 के अनुसार स्वेच्छा सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष हो गई है। इसके साथ ही उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा मूल नियम 56 के खण्ड (ङ) में बढ़ाये गये प्रतिबन्धात्मक खण्ड में यह भी प्राविधान कर दिया गया है कि जहाँ कोई सरकारी सेवक जो इस नियम के अधीन स्वेच्छा सेवानिवृत्त होता है या जिसे स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है; वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी उसे पेंशन और उपादान के, यदि कोई हो, प्रयोजनार्थ पांच वर्ष की या ऐसी अवधि की, जिसमें वह कार्य किया होता, यदि वह अपनी अधिवर्षता की आयु के साधारण दिनांक तक रहता, जो भी कम हो, अतिरिक्त सेवा के लाभ की अनुज्ञा दे सकता है। सामान्यतया अतिरिक्त सेवा का उक्त लाभ सभी सरकारी सेवकों को अनुमन्य होगा, किन्तु आपवादिक परिस्थितियों में जहां किसी सेवक की चरित्र पंजी, में उसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध प्रकट हो, यह लाभ अनुमन्य न होगा।

2—उक्त प्राविधान से यह विदित होता है कि यदि कोई सरकारी सेवक जिसकी अधिवर्षता आयु 58 वर्ष है, 45 वर्ष या अधिक किन्तु 53 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर स्वेच्छा सेवानिवृत्त होता है या जिसे स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, तो उसकी पेंशन तथा उपादान, यदि कोई हो, के प्रयोजन के लिए पांच वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जा सकता है। यदि कोई सरकारी सेवक 53 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किसी समय स्वेच्छा सेवानिवृत्त होता है या स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, तो उसकी 5 वर्ष से कम उतनी ही अवधि की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जा सकता है जितनी अवधि में वह अधिवर्षता के साधारण दिनांक तक सेवा में रहता। यद्यपि उक्त प्राविधान के फलस्वरूप किसी सरकारी सेवक को पांच वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जायेगा तथापि पेंशन तथा उपादान के आगणन हेतु उसकी परिलब्धियां वही मानी जायेगी जो वह स्वेच्छा सेवानिवृत्त के दिनांक को प्राप्त कर रहा था। अवर सेवा के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनकी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है, ऊपर उल्लिखित उपबन्ध Mutatis Mutandis लागू होंगे।

3—आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उपरोक्त प्राविधानों को ध्यान में रखें तथा अपने अधीनस्थ समस्त पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों की जानकारी में संशोधित मूल नियम 56 के उपर्युक्त प्राविधान भली प्रकार ला दें तथा यह निदेश दे दें कि स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को उपर्युक्त सुविधा का लाभ देने के लिए आवश्यक कार्यवाही तत्परता से तथा शीघ्र करें।

भवदीय,
एम० वाधवानी,
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या 5/7—77 (4)–कार्मिक–1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
एम० वाधवानी,
आयुक्त एवं सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 6 सा० नियुक्ति—22-8-2001—(778)—2000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।